सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

एमएसएमई के लिए योजनाएँ

2025-26

"एमएसएमई आर्थिक विकास, नवोन्मेष और रोजगार के मजबूत संचालकों में से हैं।"

श्री जीतन राम मांझी

माननीय केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

"आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए एमएसएमई के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।"

सुश्री शोभा करंदलाजे

माननीय केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, राज्य मंत्री

विषय सूची

एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 03
   1.1. मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण 05
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) 07
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई- सीडीपी) योजना 09
4. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) 11
5. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना 13
6. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना 15
7. कयर विकास योजना 16
8. प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना 19
9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना 21
10. राष्ट्रीय एससी-एसटी हब 24
11. नवप्रर्वतन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर) 26
12. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना – अम्ब्रेला 28
   I. खादी विकास योजना 28
   II. ग्रामोद्योग विकास योजना 29
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संगठन 31

नई योजनाएँ

14. पी एम विश्वकर्मा - कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उद्यमों को बढ़ाने में सक्षम बनाना। **34**

15. टूल रूम और तकनीकी संस्थान **36**

16. एमएसएमई चैम्पियंस योजना **38**

   1). एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन **39**

   2). एमएसएमई-नवप्रवर्तनशील (इंक्यूबेशन, आईपीआर और डिजाइन) **42**

   3). एमएसएमई- प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना **45**

17. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआइ) निधि **48**

18. एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) **50**

19. महत्वपूर्ण संपर्क नम्बर **52**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

उद्देश्यः

- स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार के उपक्रम स्थापित करने और सतत् रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ग्रामीण और बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ भावी परंपरागत कारीगरों के लिए सतत् और निरंतर रोजगार के अवसर सृजित करना-ताकि व्यावसायिक पलायन को रोका जा सके।

मुख्य लाभः

- गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म-उद्यमों को स्थापित करने के लिए ऋण सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम।
- बैंक ऋण पर विनिर्माण में 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए 15% से 35% तक की रेन्ज में मार्जिन मनी सब्सिडी।
- विशेष श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं/ अल्पसंख्यकों/पूर्व सैनिकों/ट्रांसजेंडर/आकांक्षी जिलों/ पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू हैः

- 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

विस्तृत जानकारीः

- लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी के मामले में परियोजना लागत का 10% तथा विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिलाएं/पूर्व सैनिक/ ट्रांसजेन्डर/ आकांक्षी जिलों/ पूर्वोत्तर क्षेत्र) के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5% है।

- यदि ऋण के लिए आवेदन अनुमोदित कर दिया जाता है, बैंक लाभार्थियों द्वारा इकाइयों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त रूप से कुल परियोजना लागत का 90 से 95 प्रतिशत की शेष राशि को स्वीकृत और जारी करते हैं।
- स्कीम के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं/इकाइयों की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यशालाओं, लाभार्थियों को ईडीपी प्रशिक्षण, प्रदर्शिनियां, इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करके बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के रूप में सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।
- भारत सरकार ने आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवाह और वित्तपोषक शाखाओं को सीधे मार्जिन मनी संवितरण शुरू किया है।
- ई-पोर्टल पर व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अनिवार्य है। आवेदन फार्म/पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल मोबाइल अनुकूल है। प्रत्येक चरण पर प्रणाली द्वारा स्वतः अथवा संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदक को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट भेजा जाता है।
- विभिन्न कार्यकलापों की मॉडल परियोजनाएं की रिपोर्टें भावी लाभार्थियों के लाभ के लिए पीएमईजीपी ई-पोर्टल में डाली गई हैं।
- देश में एमएसएमई के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए, सरकार ने यह उपाय शुरू किए हैं कि पीएमईजीपी इकाइयां ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण अपना सकती हैं।

आवेदन कैसे करें :

- **https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome** पर आवेदन करें।

1.1) मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण

उद्देश्यः

- विस्तार और उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों की सहायता के उद्देश्य से, स्कीम में सफल/बेहतर कार्यनिष्पादक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- स्कीम में नई प्रौद्योगिकी/ऑटोमेशन को लाने के लिए उद्यमियों की आवश्यकता की भी पूर्ति की जाती है ताकि मौजूदा इकाई को आधुनिक बनाया जा सके।

मुख्य लाभः

- अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत की 15 प्रतिशत होगी (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 प्रतिशत)। बैंकों द्वारा कुल परियोजना लागत की शेष राशि मियादी ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू हैः

- मौजूदा बेहतर कार्यनिष्पादक पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयां

विस्तृत जानकारीः

- वर्ष 2018-19 से विनिर्माण और सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्कीम है।
- उन्नयन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना की अधिकतम लागत 1.00 करोड़ रु. और सेवा/व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत 25.00 लाख रु. है।
- अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत की 15% होगी (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) अर्थात गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15.00 लाख रु. और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 20.00 लाख रु.। बैंकों द्वारा कुल परियोजना लागत की शेष राशि मियादी ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

- पीएमईजीपी/मुद्रा स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषित सभी मौजूदा इकाइयां जिनके मार्जिन मनी दावों का समायोजन कर दिया गया है और जिन्होंने लिए गए पहले ऋण का पुनर्भुगतान निर्धारित समय के भीतर कर दिया है वे लाभ लेने हेतु पात्र हैं।
- इकाइयां पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जन करने वाली होनी चाहिए।
- लाभार्थी उसी वित्तपोषक बैंक, जिसने उनकी इकाई के लिए ऋण स्वीकृत किया था, अथवा किसी अन्य वित्तपोषक बैंक में आवेदन कर सकता है, जो दूसरे ऋण के लिए क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के इच्छुक हैं।
- लाभार्थी किसी भी कार्यान्वियन एजेंसी का चयन कर सकता है और वह पहले ऋण के लिए चयनित एजेंसी से भिन्न हो सकती है।
- उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) का पंजीकरण तथा उद्यम पंजीकरण अनिवार्य है।
- दूसरे ऋण से अतिरिक्त रोजगार सृजन होना चाहिए।
- उन्नयन के लिए दूसरे ऋण के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों को पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर आवेदन फार्म भरकर आवेदन करना होग।

आवेदन कैसे करें:

- https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome पर आवेदन करें।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस)

उद्देश्य:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में संपार्श्विक मुक्त/तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त ऋण के लिए ऋण गारंटी समर्थन की सुविधा प्रदान करके नए उद्यमियों को स्वरोजगार के माध्यम से उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित करना।

मुख्य लाभ:

- संपार्श्विक और तृतीय-पक्ष गारंटी रहित ऋण के लिए 5 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी।
- गारंटी कवरेज 75% से 90% तक होती है।

योजना किस हेतु लागू की गई है:

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसई।

पात्रता वाले क्रियाकलाप :

- सभी क्रियाकलाप, एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार पात्र हैं।

विस्तृत जानकारी:

- सेवा उद्यमों, व्यापार (खुदरा/थोक व्यापार) और शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों सहित नए और इसके साथ ही मौजूदा एमएसई को पात्र सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआइ) द्वारा दी जाने वाली कोई भी संपार्श्विक/तृतीय-पक्ष गारंटी मुक्त ऋण सुविधा, योजना के तहत अधिकतम गारंटी सीमा 5 करोड़ रुपए की गारंटी के लिए पात्र है।

- हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल भी इस सुविधा के लिए पात्र है जिसमें एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि क्रेडिट सुविधा का बाकी असुरक्षित हिस्सा, (अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक) योजना के तहत कवर किया जा सकता है।

- ऋणदाता की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गारंटी कवरेज की सीमा निम्नानुसार है:

श्रेणी (ट्रेडिंग कार्य सहित)	गारंटी कवरेज की अधकितम सीमा जहां गारंटीकृत ऋण सुवधि है		
	5 लाख रुपए तक	5 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक।	50 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक।
सूक्ष्म उद्यम	**85%**	**75%**	
पूर्वोत्तर क्षेत्र, 75% जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित एमएसई	**80%**		**75%**
महिला उद्यमी	**90%**		
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी/आकांक्षी जिले में स्थित एमएसई/ जेडईडी प्रमाणित एमएसई/ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	**85%**		
ऋणदाता की अन्य सभी श्रेणियां	**75%**		
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित ऋण की कमी वाले जिलों (आईसीडीडी) में स्थित एमएसई के लिए गारंटी कवरेज की सीमा लागू गारंटी कवरेज के अतिरिक्त 5% है (अर्थात 75% की गारंटी कवरेज के लिए कवरेज 80% होगी, 80% के लिए 85% होगी, 85% के लिए 90% होगी तथा 90% के लिए 95% होगी)।			

आवेदन कैसे करें:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए एमएलआई (बैंक/एनबीएफसी) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई)।
- विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया https://www.cgtmse.in पर जाएं।

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना

उद्देश्यः

- प्रौद्योगिकी, कौशल एवं गुणवत्ता, बाजार पहुँच में सुधार जैसे सामान्य मुद्दों का समाधान करके एमएसई की निरंतरता और विकास में सहायता प्रदान करना।
- एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन/ उन्नयन करना।
- सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना (परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चा माल डिपो, प्रवाह उपचार, उत्पादन प्रक्रियाओं को पूरा करने आदि के लिए) ।
- क्लस्टरों के लिए हरित एवं सतत् विनिर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

मुख्य लाभः

- प्लग और प्ले सुविधाओं के साथ सामान्य सुविधा केन्द्रों का सृजन।
- फ्लैटयुक्त कारखाना परिसरों सहित अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए सहायता।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू हैः

- मौजूदा उद्यमी (एसपीवी एक विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में)

विस्तृत जानकारीः

- सामान्य सुविधा केन्द्रः प्लग और प्ले सुविधाओं सहित सामान्य उत्पादन/ प्रसंस्करण केन्द्र, डिजाइन केन्द्र, परीक्षण सुविधाओं जैसी 'भौतिक आस्तियों' का सृजन करना। भारत सरकार की सहायताः 30 करोड़ रु. की अधिकतम परियोजना लागत के 80% तक।

- **अवसंरचना विकासः** नए/मौजूदा औद्योगिक (बहु-उत्पाद) क्षेत्रों/सम्पदाओं/फ्लैटयुक्त कारखाना परिसर में भूमि, सड़क, जल-निकासी, विद्युत वितरण इत्यादि का विकास करना। भारत सरकार की सहायताः 15 करोड़ रु. की अधिकतम परियोजना लागत का 70% तक।

आवेदन कैसे करें:

- **https://cluster.dcmsme.gov.in** पर आवेदन करे

परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)

उद्देश्यः

- उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाकर और मूल्य वर्धन करते हुए परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना।
- परंपरागत क्षेत्रों का संवर्धन करना और सतत रोजगार देते हुए कारीगरों की आय को बढ़ाना।

मुख्य लाभः

- **सरकारी सहायता**
- 500 कारीगरों तक के लिए 2.5 करोड़ रु. तक।
- 500 से अधिक कारीगरों के लिए 5 करोड़ रु.।
- आधुनिक मशीनों के साथ एक उत्पादन सुविधा की स्थापना की गई है।
- कच्चा माल सहायता।
- **साफ्ट इंटरवेंशन-25 लाख रु. तक**
- कौशल विकास
- एक्सपोजर दौरे
- क्रेता-विक्रेता बैठकें
- विपणन – संपर्क-ई-कॉमर्स।
- डिजाइन सहायता

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू हैः

- परंपरागत उद्योगों, हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि-प्रसंस्करण, बांस, शहद, कयर, खादी आदि जैसे क्षेत्रों में कारीगरों के क्लस्टर से मौजूदा कारीगर।

विस्तृत जानकारी:

- कार्यान्वियन एजेंसियों (राज्य/केन्द्रीय सरकार के संगठनों एनजीओ) द्वारा विशेष उद्देश्य व्हीकल्स (एसपीवी) में कारीगरों को गठित किया जाता है जिन्हें भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता है और हार्ड इंटरवेंशन का 10% (पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में 5%)।
- हार्ड इंटवेशन लागत के 90% (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में 95%) और सॉफ्ट इंटरवेशन की संपूर्ण लागत की वित्तीय सहायता।
- विस्तृत दिशा निर्देश **https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx** पर उपलब्ध हैं।

आवेदन कैसे करें:

- **https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx** पर आवेदन करें।

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना

उद्देश्य:

- नए उद्यमों का संवर्धन, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण और देश में उद्यमिता की संस्कृति पैदा करना।

मुख्य लाभ:

- समाज के विभिन्न वर्गों में विकास, उपलब्धि, प्रेरणा और उद्यमिता कौशल द्वारा उद्यमिता का आधार बढ़ाना।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- आकांक्षी और मौजूदा उद्यमी।

विस्तृत जानकारी:

- उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) - उद्यमियों/एससी/एसटी/महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व-सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को उद्यमिता/स्व-रोजगार जागरूकता और अभिप्रेरणा के रूप में कैरियर विकल्प के रूप में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है।
- उद्यमिता सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी) कृषि आधारित उत्पादों, होजरी, खाद्य और फल प्रसंस्करण उद्योग, कारपेट बुनाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कार्यशाला/मशीन शॉप, हीट ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बुनियादी/उन्नत वेल्डिंग/फैब्रिकेशन/शीट मेटल वर्क/ बुनियादी/उन्नत बढ़ईगिरी, ग्लास और सिरेमिक्स आदि में छः सप्ताह का उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।
- अग्रिम ई-एसडीपी: आईआईएम/आईआईटी/आईसीएआर/सीएसआईआर/बीएआरसी/आईआईएससी/

- एनआईटी/केन्द्रीय और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि के माध्यम से एक सप्ताह का अग्रिम ईएसडीपी कार्यक्रम संचालित किया जाता है।
- औद्योगिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, निर्यात प्रबंधन/प्रलेखन और प्रक्रिया, सामग्री प्रबंधन, वित्तीय/कार्यशील पूंजी प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल विपणन, गुणवत्ता प्रबंधन/ क्यूएमएस/आईएसओ-9000/ईएमएस, डबल्यूटीओ, आईपीआर, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खुदरा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन आदि में मौजूदा उद्यमियों और उनके पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए प्रबंधन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण।
- अग्रिम एमडीपी: एमएसएमई प्रमोटरों/अधिकारियों को एमडीपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/कृषि कालेजों/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों/एनआईटी/केन्द्रीय और राज्य सरकारों के इस डोमेन में अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों अथवा /तथा राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक सप्ताह के अग्रिम एमपीडी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

आवेदन कैसे करें:

- ईएसडीपी स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई -टीसी और अन्य कार्यान्वियन एजेंसियों के माध्यम से एमएसएमई-डीएफओ की वेबसाइट पर आवेदन करें। स्कीम लिंक -
- **http://dcmsme.gov.in/Enterprise&skillDevelopment.htm & http://msmedi.dcmsme.gov.in**

प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना

विवरण :

- एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों, नामतः निम्समे, केवीआईसी, कयर बोर्ड, टूल रूमों, एनएसआईसी एवं एमगिरि को अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और सृजन के उद्देश्य से तथा उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई अर्थात् राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वामित्व और उनके द्वारा नियंत्रित उनके प्रशिक्षण अवसंरचना के सृजन या सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की प्रकृति:

- इस मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपेक्षित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/ विस्तार के लिए सहायता की राशि वास्तविक राशि से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक मामले में राज्य स्तरीय ईडीआई की अधिकतम सहायता के स्तर को 3.00 करोड़ रुपये तक प्रतिबंधित किया गया है। कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता निर्धारित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

कौन आवदेन कर सकता है :

- एमएसएमई मंत्रालय के संस्थान और मौजूदा राज्यस्तरीय ईडीआई ।

आवेदन कैसे करें:

- अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण अथवा सृजन के लिए सहायता हेतु आवेदन करने के इच्छुक संगठन अपने आवेदन निदेशक/उप सचिव (ईडीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 को भेज सकते हैं।

किससे संपर्क करें:

- उप सचिव (ईडीआई), एमएसएमई मंत्रालय
- स्कीम लिंक - **https://ati.msme.gov.in**

कयर विकास योजना – छतरी योजना

कयर विकास योजना (सीवीवाई) एक छतरी योजना है जिसे कयर बोर्ड द्वारा पूरे देश में कयर उद्योग के विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- उत्पादन के आर्थिक स्तर पर देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग बढ़ाना।
- श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों और उद्योग के अन्य हितधारकों की आय/रिटर्न बढ़ाना।
- देश और विदेश में उत्पादों की बाजार क्षमता का पूर्ण उपयोग और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएँ।
- बेहतर उपकरण मशीनरी, प्रक्रियाओं और नए उत्पादों का विकास।
- कयर उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देना।
- कयर उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति का विकास, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और रोजगार सृजन।
- कयर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय।
- तकनीकी हस्तक्षेप और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के एकीकरण के माध्यम से कयर उद्योग को उन्नयन करना |

इस छतरी योजना के तहत, कयर बोर्ड निम्नलिखित उपयोजनाएँ/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

I. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इस परियोजना में कयर उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने, प्रयोगशाला स्तर पर अनुसंधान के परिणामों को क्षेत्र स्तर पर लागू करने तथा परीक्षण और सेवा सुविधाओं का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

II. कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना

क. कौशल उन्नयन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड मूल्य-संवर्धित प्रक्रियाओं में प्रशिक्षकों

की सेवाएं प्रदान करके वजीफा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है तथा, कयर क्षेत्र में उपलब्ध परियोजनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने तथा इस क्षेत्र में भावी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन दौरे आदि का आयोजन भी करता है।

ख. महिला कयर योजना

महिला कयर योजना एक महिला उन्मुख, स्व-रोजगार योजना है जो कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य नारियल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को वजीफा सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण प्रदान करना और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

III. निर्यात बाजार संवर्धन

निर्यात बाजार संवर्धन के अंतर्गत बोर्ड की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रचार, निर्यात बाजार विकास सहायता योजना/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं।

IV. घरेलू बाजार संवर्धन

घरेलू बाजार संवर्धन योजना के तहत मुख्य गतिविधियाँ अपने शोरूम व बिक्री डिपो के माध्यम से कयर उत्पादों का प्रदर्शन सह बिक्री, अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशेष मेलों का आयोजन, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कयर सहकारी इकाइयों, सोसायटी आदि को बाजार विकास सहायता (एमडीए) का वितरण करना है।

V. व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं

इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों में प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर सूचना खोज, निर्यात सहित सूचना का संग्रह और सांख्यिकीय विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना और रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना शामिल होगा।

VI. कल्याणकारी उपाय

कयर बोर्ड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के स्थान पर कयर श्रमिकों के कल्याण के लिए नई कल्याणकारी योजना शुरू करने की योजना बना रहा है।

यह योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- कयर बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी कयर उत्पादन/प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनके पास वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र है।

कैसे आवेदन करें:

- योजनाओं का विवरण कयर बोर्ड की वेबसाइट **http://coirboard.gov.in** पर उपलब्ध है।

प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना

उद्देश्य:

- स्कीम का उद्देश्य देश भर में आयोजित/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो, आदि का आयोजन/भाग लेने जैसी नई बाजार पहुँच पहलों का संवर्धन और विपणन, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रणाली, जेम पोर्टल, एमएसएमई सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यवसाय में नवीनतम विकास और बाजार पहुँच विकास के लिए अन्य विषयों/प्रकरणों में पैकेजिंग का महत्व/तरीकों/ प्रक्रिया के बारे में एमएसएमई को जागरूक और शिक्षित करना है।

स्कीम के घटक

बाजार पहुँच

- व्यवसाय मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी।
- मंत्रालय/विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय/सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करना और व्यवसाय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।
- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)।

क्षमता निर्माण

- आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों का अभिग्रहण
- बार कोड का अभिग्रहण
- ई-कामर्स मंच का अभिग्रहण
- राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमिनार
- मंत्रालय/विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों (पारंपरिक/वर्चुअल) का आयोजन करना।

रिटेल आउटलेट का विकास

- जीआई (भौगोलिक संकेतक) उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का अवसंरचना विकास

विस्तृत सूचना :

- विस्तृत जानकारी के लिए पीएमएस स्कीम के दिशानिर्देशों **http://dcmsme.gov.in/OM%20&%20PMS%20Scheme%20Guidelines.pdf** का अवलोकन करें।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- विनिर्माण/सेवा क्षेत्र वाले एमएसई जिनके पास वैध उद्यम पंजीकरण (यूआर) प्रमाण पत्र हैं।

आवेदन कैसे करें:

- **www.dcmsme.gov.in** पर आवेदन करें।
- https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_Matu.aspx

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना

उद्देश्यः

- स्कीम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/सेमिनारों/विदेशी क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी को आसान करने के साथ ही कार्रवाई योग्य बाजार आसूचना तथा वस्तु और सेवाओं में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश के लिए एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना है। स्कीम प्रौद्योगिकी, मांग में परिवर्तन, नए बाजारों के उद्भव में उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को लगातार अपडेट करके एमएसएमई को अवसर प्रदान करती है।

स्कीम निम्नलिखित उप-घटकों को कवर करेगीः

- उप-घटक I : एमएसएमई को बाजार विकास सहायता (एमडीए)।
- उप-घटक II : पहली बार के निर्यातक एमएसई का क्षमता निर्माण (सीबीएफ़टीआई)।
- उप-घटक III : अंतर्राष्ट्रीय बाजार आसूचना प्रसार के लिए ढांचा (आईएमआईडी)।

आज की तारीख में, केवल उप-घटक-I और उप-घटक-II क्रियाशील है। इन दो घटकों के दिशानिर्देशों को पहले से ही परिचालित किया जा चुका है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उप-घटक-III जल्द ही क्रियाशील किया जाएगा।

उप घटक-I के अंतर्गत पात्र संगठनः

- एमएसएमई मंत्रालय और मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठन राज्य/केन्द्रीय सरकारी संगठन/संस्थान और पंजीकृत उद्योग/उद्यम संघ आदि।

उप-घटक-I के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियां

- **विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यवसाय मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों की (फिजिकल रूप से) भागीदारी।**
  - स्थान किराया (स्टाल शुल्क) : प्रति एमएसएमई 3.00 लाख रु. तक।
  - हवाई किरायाः प्रति एमएसएमई 1.50 लाख रु. तक।
  - ड्यूटी भत्ताः ऑफिस बियर्रस (ओबी) के लिए प्रति दिन 150 अमेरिकी डॉलर।
  - परिवहन शुल्कः प्रति एमएसएमई इकाई 50,000 रु. तक और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए प्रति एमएसएमई 75,000 रु. तक ।
  - विज्ञापन और प्रचार शुल्कः 5.00 लाख रु. तक।
  - पंजीकरण शुल्कः 5,000 रु. तक।

- **विदेशी आयोजकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यवसाय मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों की (वर्चुअल रूप से) भागीदारी।**
  - विदेशों द्वारा आयोजित वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए सूचीपत्र/डिजिटल सामग्री सहित स्थान/स्टाल शुल्कः 1.5 लाख रु. तक।
  - विज्ञापन और प्रचार शुल्कः 5.00 लाख रु. तक।

- **उद्योग संघों/सरकारी संगठनों द्वारा भारत में आयोजित किए जाने वाले एमएसएमई क्षेत्र (फिजिकल रूप में) से संबंधित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करना।**
  - उद्योग संघों द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों /कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करने के लिए स्थान किराया, खानपान, विज्ञापन और प्रसार, सुरक्षा व्यवस्था आदि शुल्कों सहित आयोजन शुल्कः 10.00 लाख रु. तक।
  - विदेशी वक्ताओं/विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों के लिए इकोनॉमी वर्ग हवाई किरायाः 5.00 लाख रु.।

- **उद्योग संघों/सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले एमएसएमई क्षेत्र (वर्चुअल रूप में) से संबंधित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ शिखर सम्मेलनों /कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करना।**
  - सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों /कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करने के लिए वर्चुअल स्थान/प्लेटफार्म/लाइसेंस शुल्क/किरायाः 2.00 लाख रु. तक।

- आयोजन के संवर्धन/विपणन/प्रचार पर की गई प्रचार लागतः 5.00 लाख रु. तक।
- वर्चुअल आयोजन में शामिल अनुवाद और व्याख्या शुल्कः 1.00 लाख रु. तक।

- **एमएसएमई क्षेत्र संवर्धन के लिए, भारत सरकार द्वारा स्वयं अथवा उद्योग संघों की भागीदारी में बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों, सरकार से सरकार के बीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कार्यक्रमों (फिजिकल /वर्चुअल रूप में) का आयोजन।**

उप -घटक-II

इस घटक के अंतर्गत, पहली बार एमएसई निर्यातकों की आकस्मिक लागत अर्थात पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमई); एक्सपोर्ट इंश्योरेंस प्रीमियम; गुणवत्ता प्रमाणन की प्रतिपूर्ति की जाती है। मंत्रालय ने दिनांक 20.09.2022 को आरसीएमसी शुल्कों, निर्यात बीमा प्रीमियम और परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में 19 निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक पर स्कीम के दिशानिर्देशों को देखेः
http://msme.gov.in/sites/default/files/RevisediCScheme2021.PDF

आवेदन कैसे करें:

- **http://ic.msme.gov.in** पर आवेदन करें।

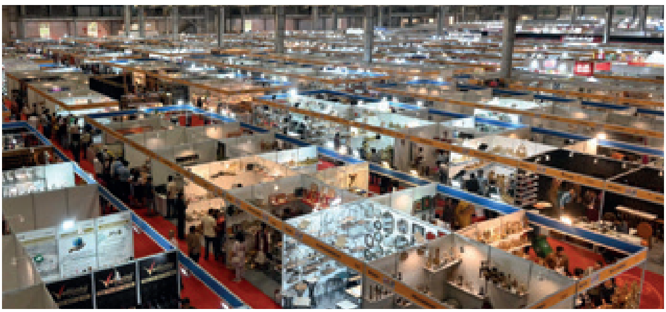

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना

उद्देश्य :

- सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करना, लागू व्यवसाय प्रथाओं को अपनाना और स्टैंड-अप इंडिया पहल का लाभ उठाना।

मुख्य लाभ :

- संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद पर 25% सब्सिडी या रु. 25 लाख जो भी कम हो।
- प्रदर्शनियों और विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से विपणन और परामर्श सहायता।
- बैंक ऋण प्रसंस्करण, परीक्षण सेवाओं, निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता, सरकार संवर्धित ई-कॉमर्स पोर्टल्स में सदस्यता, एन.एस.आई.सी. की एकल बिंदु पंजीकरण योजना सदस्यता के लिए, लिए गये शुल्क की प्रतिपूर्ति।
- एससी-एसटी उद्यमों और उद्यमियों से सम्बंधित सूचना का सीपीएसई को संग्रह, मिलान और प्रसार।
- कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण और प्रशिक्षित अभ्यर्थियो को व्यवसाय विशिष्ट टूल किट का वितरण।

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है :

- आकांक्षी और मौजूदा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी।

विस्तृत सूचना :

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) को अक्टूबर 2016 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को

व्यावसायिक सहायता प्रदान करने, प्रयोज्य व्यवसाय प्रथाओं को अपनाने और स्टैंड-अप इंडिया पहल का लाभ उठानें के लिए लॉन्च किया गया था। । हब ने एससी/एसटी उद्यमियों को उनकी क्षमता निर्माण में पेशेवर सहायता प्रदान करके उनकी सुविधा के लिए कई पहल की हैं। एनएसएसएच विभिन्न उप-योजनाओं के माध्यम से उल्लिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम करता है जो इस प्रकार हैं:

- संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद पर 25% या रु. 25 लाख, जो भी कम हो, की सब्सिडी।
- हवाई किराए पर 100% सब्सिडी और विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार डीए का दोगुना।
- एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत 100/- रुपये के मामूली शुल्क पर एनएसआईसी का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 100% सब्सिडी।
- बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क पर 80% या रु. 1.0 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- निष्पादन बैंक गारंटी पर 80% या 1.0 लाख रु. जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- परीक्षण शुल्क पर 80% या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- निर्यात संवर्धन परिषद सदस्यता के लिये सदस्यता/अंशदान शुल्क पर 80% या रुपये 20,000/- जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- सरकार द्वारा संवर्धित ई-कॉमर्स पोर्टल्स की सदस्यता शुल्क पर 80% या रुपये 25,000/- जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- शीर्ष 50 एनआईआरएफ दर्जाप्राप्त प्रबंधन संस्थान के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का 90% या 1.0 लाख रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।

आवेदन कैसे करें

- **https://www.scsthub.in/** पर आवेदन करे

नवप्रर्वतन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना(एस्पायर)

उद्देश्य:

- निम्नलिखित के लिए, मुख्य रूप से ग्रामीण और अल्प-सेवित क्षेत्रों में नवपरिवर्तन को बढ़ावा देने और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए: आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों का एक नेटवर्क स्थापित करना (एलबीआइ) :
  - कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक, स्केलेबल सूक्ष्म-उद्यमों का सृजन करते हुए रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
  - कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों में बेरोजगार, मौजूदा स्व-रोजगार/दिहाड़ी मजदूरों को कौशल, उप-कौशल, पुन: कौशल प्रदान करना।
  - आसपास के औद्योगिक क्लस्टरों को कौशल मानव पूंजी प्रदान करना और एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता के सुदृढ़ीकरण के लिए नवप्रर्वतन का संवर्धन।

मुख्य लाभ :

- संयंत्र और मशीनरी के प्रापण के लिए सरकारी एजेंसियों को अधिकतम 1 करोड़ रु. और प्राइवेट एजेंसियों के लिए 75 लाख रुपये।
- जनशक्ति लागत, चल रहे इनक्यूबेशन और कौशल विकास प्रोग्रामरों आदि के लिए परिचालन व्यय समर्थन के रूप में सरकारी और निजी एजेंसियों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है :

- मंत्रालय/भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकार उद्योग संघों, शैक्षिक संस्थानों के अंतर्गत कोई एजेंसी/भारत सरकार के संस्थान/राज्य सरकार अथवा मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्र।
- सफलतापूर्वक इंक्यूबेशन और/अथवा कौशल विकास कार्यक्रम चलाने में अनुभव के साथ कोई भी अलाभकारी प्राइवेट (निजी) संस्थान एलबीआई की स्थापना के लिए पात्र हैं।

विस्तृत जानकारी :

- आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई): आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर ग्रामीण और अनुपयुक्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता और रोजगार सृजन संवर्धन के लिए कौशल विकास और इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए स्थापित इकाई है।
- निजी संगठनों के मामले में, पूंजीगत व्यय का 25% आवेदक संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा।
- विस्तृत दिशानिर्देश **https://aspire.msme.gov.in/ASPIRE/AFHome.aspx** पर उपलब्ध हैं।

आवेदन कैसे करें:

- **https://aspire.msme.gov.in/ASPIRE/AFHome.aspx** पर आवेदन करें।

खादी ग्रामोद्योग विकास योजना

उद्देश्यः

- खादी कारीगरों की उत्पादकता तथा आय को बढ़ाना और उनकी आजीविका को सुरक्षित करना।
- खादी उत्पादन की आधारभूत संरचना को उन्नत करना।
- खादी उत्पादन, बिक्री तथा रोजगार में वृद्धि करना।
- ग्रामोद्योगों का विकास और ग्रामीण कारीगरों की संख्या में वृद्धि करना।
- ग्रामीण कारीगरों के पारंपरिक और अंतर्निहित कौशल को पुनर्जीवित करना।
- बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करना।
- विपणन तथा निर्यात को बढ़ावा देना।

मुख्य लाभः

1. खादी विकास योजना

क्र. सं.	घटक	सहायता
1.	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)	सूती/मस्लिन, ऊनी और पॉलीवस्त्र हेतु मूल लागत पर @35% सब्सिडी तथा रेशमी खादी हेतु मुख्य लागत पर @20% की सब्सिडी
2.	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना (आईएसईसी)	खादी संस्था को केवल 4% की दर से ब्याज देना होता है। बैंक द्वारा लिए गए वास्तविक ब्याज और 4% के बीच के अंतर को, केवीआईसी द्वारा ब्याज सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है।
3.	खादी कारीगरों हेतु वर्क-शेड योजना	• व्यक्तिगत वर्कशेड (20 वर्ग मीटर): रु.1,20,000/- या वर्कशेड की लागत का 75% (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 90%), जिसमें एक शौचालय भी शामिल है, जो भी कम हो। • ग्रुप वर्कशेड (प्रति कारीगर 10 वर्ग मीटर): रु.80,000/- या वर्कशेड की लागत का 75%, (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 90%), जिसमें एक शौचालय भी शामिल है, जो भी कम हो।

4.	मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण तथा विपणन की आधारभूत संरचना हेतु सहायता	• रु.15.00 लाख (पूंजीगत व्यय + कार्यशील निधि) की अधिकतम सीमा के साथ खादी संस्था के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय सहायता। • विपणन की आधारभूत संरचना के अंतर्गत केवीआईसी/केवीआईबी के विभागीय बिक्री केन्द्रों तथा रु.25.00 लाख तक की अधिकतम सीमा वाले संस्थागत बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु वित्तीय सहायता।
5.	अन्य घटक	• खादी हेतु उत्कृष्टता केंद्र • खादी गुणवत्ता आश्वासन • विपणन (प्रदर्शनी) • विज्ञान और प्रौद्योगिकी (वि.प्रौ.)

II. ग्रामोद्योग विकास योजना

क्र. सं.	घटक	सहायता
1.	स्वस्थता और प्रसाधन उद्योग (वेलनेस एंड कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज) के अंतर्गत अगरबत्ती कार्यक्रम	• अगरबत्ती उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम • प्रशिक्षित कारीगरों को पेडल संचालित/ स्वचालित अगरबत्ती मशीनरी का वितरण।
2.	हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचएमपीएलपीआइ) के अंतर्गत चमड़े के फूटवियर संबंधी गतिविधि	• फूटवेयर के डिजाइन और निर्माण पर प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित कारीगरों को मशीनरी तथा टूल-किटों का वितरण।
3.	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआइ) के अंतर्गत पॉटरी गतिविधि	• व्हील पॉटरी पर प्रशिक्षण। प्रशिक्षित कारीगरों को औजारों और उपकरणों (इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील, ब्लंजर) का वितरण
4.	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआइ) के तहत मधुमक्खी पालन गतिविधि/ शहद मिशन कार्यक्रम	• मधुमक्खी पालन कौशल विकास प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित लाभार्थियों को जीवित मधुमक्खी-कालोनियों के साथ 10 मधुमक्खी-बक्से और टूल किट के एक सेट (जिसमें एक चाकू, स्मोकर, हाइव-टूल और बी-वेइल शामिल है) का वितरण।

5.	ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं नवीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वेस्ट वुड/टर्न वुड क्राफ्ट/लकड़ी के खिलौने/ पंचगव्य के उत्पाद	• वेस्ट-वुड, टर्न-वुड क्राफ्ट, वुडन टॉय और पंचगव्य आधारित उत्पादों पर प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित कारीगरों को टूल-किट्स का वितरण।
6.	हस्तनिर्मित कागज, प्लास्टिक और चमड़ा उद्योग के अंतर्गत हाथ से बने कागज और फाइबर से संबंधित गतिविधियाँ।	• पेपर रूपांतरण, पेपर प्लेट और दोना (बाउल) बनाने, पेपर मैशे, फाइबर निष्कर्षण और फैंसी वस्तुएँ बनाने और बान बनाने (टू प्लाई) पर प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित कारीगरों को मशीनरी तथा टूल-किटों का वितरण।
7.	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	• पाम गुड़, इमली, फल और सब्जियां, ग्रामीण तेल, मसाले और चटनी, बेंत और बांस पर प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित कारीगरों को मशीनरी तथा टूल-किटों का वितरण।
8.	सेवा उद्योग	• इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर, तथा डिगनिटी (साइकिल पर चाय की बिक्री) को प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल-किट्स का वितरण।

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- खादी संस्था (केआई), जो केवीआईसी या राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के साथ पंजीकृत हैं, और खादी कारीगर।
- लाभार्थियों की पहचान केवीआईसी, एनजीओ/केआई/वीआई/केवीआईबी/डीआईसी/एफपीओ आदि द्वारा की जा सकती है।
- आयु समूह: 18-55 वर्ष।
- जिनके पास वैध आधार कार्ड, या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र हो।
- एक परिवार का एक व्यक्ति ही केजीवीवाई के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है।
- वे व्यक्ति पात्र नहीं हैं, जिन्होंने समान/उसी उद्देश्य हेतु अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त किया है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/बेरोजगार युवा/गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी आदि के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें:

- http://www.kviconline.gov.in पर आवेदन करें।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संगठन

उद्देश्यः

- स्कीम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सामान्य मुद्दों जैसे कि प्रौद्योगिकी, कौशल एवं गुणवत्ता, बाजार पहुँच में सुधार आदि के समाधान के माध्यम से मुख्यतः उत्पादकता, निरंतरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकास के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे कि फल, मसाले, कृषि, वानिकी, रेशम कीट-पालन और बांस आदि के लिए विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, आरएंडडी, उत्पाद और प्रक्रिया नवप्रर्वतन और प्रशिक्षण की पूर्ति के लिए सामान्य सुविधाओं का निर्माण।
- एमएसएमई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण/उन्नयन।
- होम स्टे के एक क्लस्टर में सामान्य सुविधाओं जैसे कि किचन, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राईक्लीन, रेफ्रीजरेशन और कोल्ड स्टोरेज, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, पेयजल, स्थानीय उत्पादों के लिए प्रदर्शन केंद्र, सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए केन्द्र आदि के निर्माण द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र का विकास।

मुख्य लाभः

- औजारों सहित नए उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु एमएसएमई के लिए सामान्य सुविधाएं।
- नई इकाइयों की स्थापना या अपनी इकाइयों के विस्तार हेतु उद्यमियों के लिए विकसित अवसंरचना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सामान्य अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए सहायता।

सहायता की प्रकृतिः

- **नए लघु प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना और मौजूदा केन्द्रों का आधुनिकीकरणः** भारत सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। भारत सरकार की सहायता की गणना हेतु अधिकतम परियोजना लागत 15.00 करोड़ रु. होगी। अवसंरचना के उन्नयन हेतु निर्माण लागत के

लिए भारत सरकार सहायता कुल अनुमानित भारत सरकार सहायता के भीतर 1.00 करोड़ रु. तक सीमित होगी। भारत सरकार की वित्तीय सहायता जमीन की लागत के लिए स्वीकार्य नहीं होगी।

- **नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकासः** भारत सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। नई औद्योगिक संपदा के विकास के लिए भारत सरकार सहायता की गणना हेतु अधिकतम परियोजना लागत 15.00 करोड़ रु. होगी जबकि मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 10.00 करोड़ रु. होगी।

- **पर्यटन क्षेत्र का विकासः** भारत सरकार सहायता की गणना के लिए 5 करोड़ रु. की अधिकतम परियोजना लागत के साथ परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। शेष परियोजना लागत यदि कोई है तो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

पात्रता/अनुप्रयोज्यताः

- एमएसएमई के संवर्धन में संलग्न राज्य सरकार या कोई भी राज्य सरकार संगठन।

आवेदन कैसे करें:

- स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकार एक प्रस्ताव तैयार करेगी और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई के संवर्धन में संलग्न उद्योग और वाणिज्य विभाग या किसी राज्य सरकार संगठन को प्राथमिकता के साथ किसी एजेंसी को चिह्नित करेगी। फिर प्रस्ताव को अनुमोदन प्रक्रिया के लिए स्कीम पोर्टल **www.ner-promotion.msme.gov.in** पर अपलोड किया जा सकता है।

संपर्कः

- विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालय।

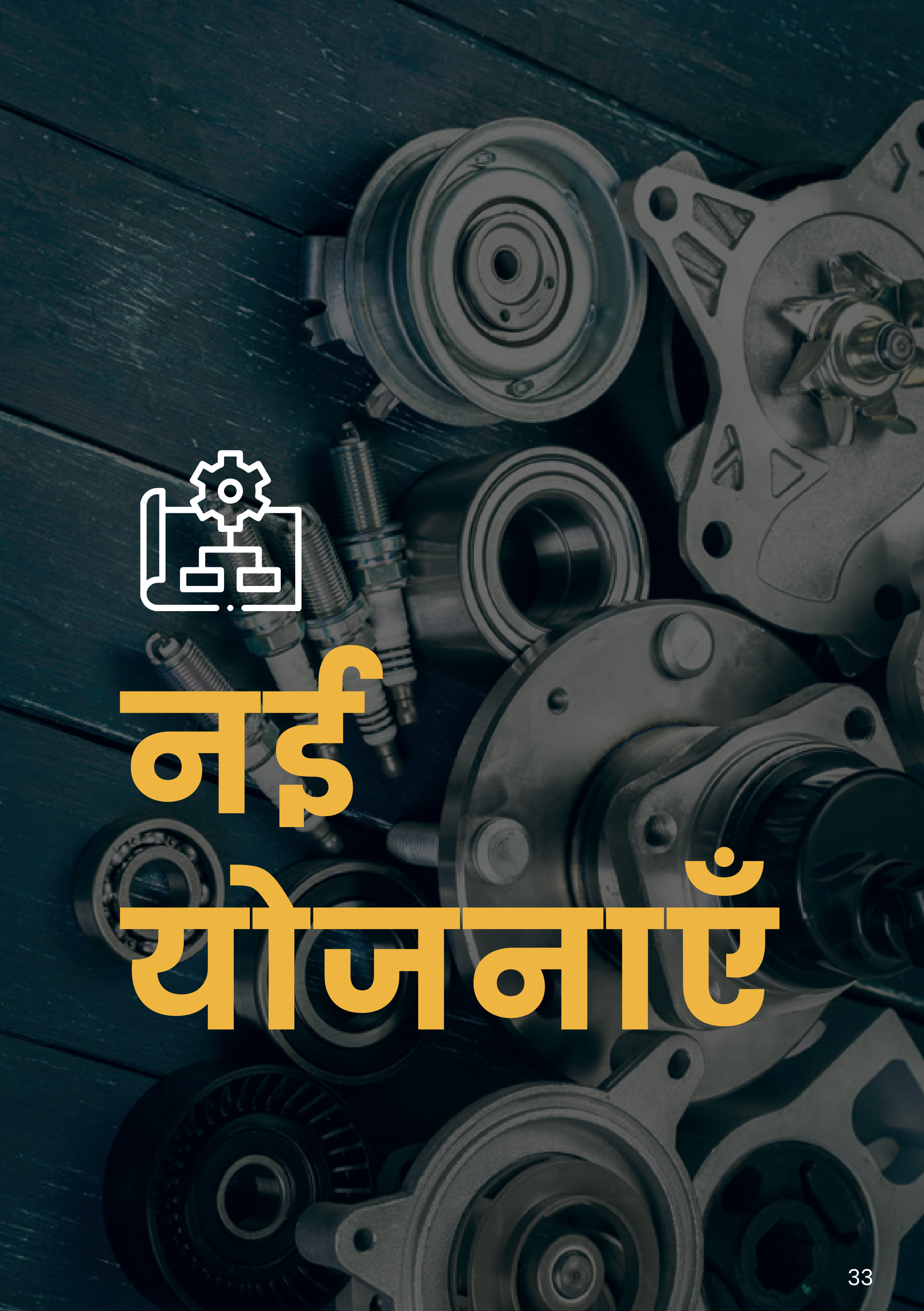

नई योजनाएँ

पी एम विश्वकर्मा - कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उद्यमों को बढ़ाने में सक्षम बनाना।

उद्देश्य:

- कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना।
- उनके कौशल को निखारने और प्रासंगिक बनाने तथा उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज सब्वेंशन प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना।
- इन विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद देना।

प्रमुख लाभ:

- पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से **कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता।**
- **कौशल उन्नयन:** 500 रुपए प्रतिदिन के स्टाइपेंड और 1,000 रुपए के परिवहन भत्ते के साथ 5-7 दिनों का आधारभूत प्रशिक्षण और 15 या उससे अधिक दिनों का उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **टूलकिट प्रोत्साहन:** ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपए तक की टूलकिट प्रोत्साहन।
- **क्रेडिट सहायता:** 5% की रियायती ब्याज दर पर 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ क्रमशः 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की दो किस्तों में 3 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त 'उद्यम विकास ऋण', जिसमें भारत सरकार की ओर से 8% की छूट भी शामिल है।

- **डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:** डिजिटल भुगतान या प्राप्ति के लिए लाभार्थी को अधिकतम 100 पात्र लेनदेन मासिक तक प्रति पात्र डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

- **विपणन सहायता:** मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जेम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता।

कौन आवेदन कर सकता है:

- इस योजना में 18 व्यापारों अर्थात (i) कारपेंटर (बढ़ई /सुथार) (ii) नाव निर्माता (iii) अस्त्रकार (iv) धातु- शिल्पी (v) हथौड़ा और टूलकिट निर्माता (vi) ताला बनानेवाला (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार) (viii) पॉटर (कुम्हार) (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला (x) मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला / फुटवियर कारीगर (xi) मेसन (राजमिस्त्री) (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला / कॅयर बुनकर (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) (xiv) बार्बर (नाई) (xv) गारलेंड मेकर (मालाकार) (xvi) वाशरमैन (धोबी) (xvii) टेलर (दर्जी) (xviii) फिशिंग नेट निर्माता व्यापारों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

आवेदन कैसे करें:

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कृपया निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं।

विस्तृत जानकारी:

- विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया **https://pmvishwakarma.gov.in/** पर जाएं।

टूल रूम और तकनीकी संस्थान

उद्देश्य:

- टूल रूम और तकनीकी संस्थान एमएसएमई की सहायता के लिए उद्योगों के प्रासंगिक क्षेत्र के एकीकृत विकास पर केंद्रित हैं। पूरे भारत में स्थापित कुल 18 एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी संस्थान सामान्य अभियांत्रिकी, फाउंड्री और फॉर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सुगंध, कांच, खेल के सामान और जूतों आदि जैसे प्रासंगिक क्षेत्र में सेवाएँ दे रहें हैं।

मुख्य लाभ:

- उनकी क्षमता बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके उद्योग कुशल जनशक्ति प्रदान करके टूलिंग सुविधाओं तक एमएसएमई की पहुँच में सुधार करना।
- प्रासंगिक क्षेत्र में प्रक्रिया और उत्पाद विकास।
- प्रासंगिक क्षेत्र में परामर्श और जॉब कार्य।

कौन आवेदन कर सकता है:

- औद्योगिक इकाइयां (एमएसएमई क्षेत्र पर फोकस करने वाले)।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रवेश पात्रता स्कूल छोड़ने वालों से लेकर एम.टेक स्तर तक ।

विस्तृत जानकारी:

- टूल रूम और तकनीकी संस्थान स्कीम के तहत एमएसएमई मंत्रालय ने वर्ष 1967 से वर्ष 1999 तक टूल्स, डाईज, मोल्ड्स, जिग्स और फिक्चर्स आदि के डिजाइन, विकास और विनिर्माण हेतु उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, हैंड टूल्स, प्लास्टिक, ऑटो पार्ट्स, इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रॉनिक्स, फोर्जिंग और फाउंड्री, स्पोर्टस गुड्स, लैदर और फुटवियर, सुगंध और सुरस आदि जैसे क्षेत्रों में आत्म निर्भरता के आधार पर कार्य करने वाले 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थान {जिन्हें सामान्यतः प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) के रूप में जाना जाता है।} स्थापित किए हैं।

- मंत्रालय 3डी प्रिंटिंग, कैड/कैम, टूलिंग के लिए सीएनसी मशीनिंग, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, रॉबोटिक्स और प्रोसेस ऑटोमेशन आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को शुरू कर टूल रूम (टीआर) और तकनीकी संस्थान (टीआई) को उन्नत करने के लिए समय-समय पर निवेश कर रहा है।
- कुछ टीसी कॉम्पलैक्स टूल्स, पाट्‌र्स और कंपोनेंट के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा रक्षा, एयरोस्पेस आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों के अलावा, प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग के लिए तैयार जनशक्ति के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करते हैं और उद्योग की आवश्यकता के अनुसार उद्योग कार्यबल को पुनः कौशल प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिनमें एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रम, एआईसीटीई/ एनसीवीईटी/ एससीवीटी अनुमोदित पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं। कुछ प्रशिक्षण केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, ये टीसी पाट्‌र्स और कंपोनेंट के डिजाइन, सामग्री परीक्षण, हीट ट्रीटमेंट, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद एवं प्रक्रिया सुधार से संबंधित तकनीकी परामर्श जैसी तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
- सभी टीआर और टीआई (टीसी) कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित संस्थान हैं और उनमें से कुछ आईएसओ-14000, ओएचएसएएस-18000, आईएसओ-29990 और आईएसओ-50001 प्रमाणित हैं। केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर को एयरो-स्पेस कम्पोनेंट सप्लाई के लिए ए एस-9100 प्रमाणित भी किया गया है।

आवेदन कैसे करें:

- https://www.dcmsme.gov.in/CLCS_-TUS_Scheme/Tool_Room_Tech_Institutions/Scheme_Guidelines.aspx अथवा अलग-अलग संबंधित टूल रूम और तकनीकी संस्थानों की वेबसाइट पर भरे जा सकते है ।

स्कीम के बारे में:

एमएसएमई मंत्रालय लीन उत्पादन के माध्यम से वेस्टेज पदार्थ में कमी करके, डिजाइन सुधार के लिए हसायता से, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता निर्माण, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) स्कीम, डिजिटल एमएसएमई के माध्यम से एमएसएमई का डिजिटल सशक्तिकरण और व्यक्ति की अप्रयुक्त सृजन क्षमता को बढ़ाने और सहयोग देने हेतु पूरे भारत में इनक्यूबेशन के माध्यम से एमएसएमई में निर्माण (उत्पादन) के साथ-साथ ज्ञान आधारित नवाचार में नवीनतम तकनीकों को अपनाने और उससे बढ़ावा देकर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एमएसएमई चैंपियन स्कीम को लागू कर रहा है।

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम को 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 अनुमोदित है। पहले की प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीयूएस) के सभी 6 घटकों के विलय के पश्चात अस्थाई वित्त समिति (एएफसी) के माध्यम से विकसित की गई है। यह विभिन्न स्कीमों के एकीकरण, सहाक्रिया और अभिसरण से सिंगल उद्देश्य के साथ इंटरवेंशन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग समूह और उद्यमों को आरंभ करना उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, वेस्टेज को कम करना, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उनकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को पोषित करना है। एमएसएमई चैंपियन स्कीम के अंतर्गत 3 घटक है, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

1) एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेड)
2) एमएसएमई नवाचार (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन)
3) एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन)
4) डिजिटल एमएसएमई शीघ्र लॉन्च किया जाएगा।

डिजिटल एमएसएमई को एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के सभी अन्य घटकों के साथ परस्पर संबद्ध किया जाएगा।

1) - एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन

उद्देश्य:

जेड प्रमाणन में एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों के संवर्धन की परिकल्पना की गई है ताकि:

- एमएसएमई को नवीनतम प्रौद्योगिकी, टूल के उपयोग द्वारा गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उनकी प्रक्रियाओं का उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन करना।
- प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और निर्यात को समर्थ करने के लिए एमएसएमई में जेड विनिर्माण के लिए तंत्र विकसित करना।
- जेड पद्धतियों को बढ़ावा देना और सफल एमएसएमई के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- एमएसएमई को क्रमिक प्रोत्साहन के माध्यम से उच्च जेड प्रमाणन स्तर के लिए प्रोत्साहित करना।
- एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन के माध्यम से मांगकृत जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट उत्पादों हेतु लोक जागरूकता बढ़ाना।
- सुधार हेतु क्षेत्रों को चिन्हित करना जिससे सरकार की नीति निर्णयों और निवेश प्राथमिकता में सहायता मिल सके।

प्रमुख लाभ:

- **प्रमाणन की लागत**
  - प्रमाणन स्तर 1: कांस्य: 8,000/- रुपए
  - प्रमाणन स्तर 2: रजत: 32,000/- रुपए
  - प्रमाणन स्तर 3: स्वर्ण: 72,000/- रुपए
- **जेड प्रमाणन की लागत पर सब्सिडी:**
  - 10,000/- रुपए का ज्वाइंनिंग पुरस्कार (कांस्य नि:शुल्क होगा, यदि प्राप्त किया है)
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 80%-60%-50%
  - महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए 100% सब्सिडी

- **अतिरिक्त सब्सिडी:**
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसएमई या पूर्वोत्तर क्षेत्र/हिमालय/एलडब्ल्यूई/द्विप क्षेत्र/आकांक्षी जिलों में एमएसएमई के लिए 10%
  - मंत्रालय की स्फूर्ति या सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का भी एक हिस्सा है। एमएसएमई के लिए 5% है।

- **परीक्षण/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणन में वित्तीय सहायता:**
  - 50,000/- रुपए सब्सिडी की अधिकतम सीमा के साथ परिक्षण/प्रमाणन की कुल लागत के 75% तक।

- **पथ-प्रदर्शन सहायता:**
  - सभी जेड प्रमाणित एमएसएमई के लिए परामर्श के लिए 2 लाख रुपए तक।

- **जीरो इफेक्ट समाधान के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता:**
  - सभी जेड प्रमाणित एमएसएमई के लिए 3 लाख रुपए तक।
  - **श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन:** एमएसएमई तीन तरह के जेड प्रमाणन स्तर के लिए यथा निर्धारित श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी संभव हो, राज्यों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों को पारस्परिक लिंकेज के लिए जेड पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल (एमएसएमई मंत्रालय का) में पंजीकृत सभी एमएसएमई, एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन में भाग लेने और संबंधित लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

विस्तृत सूचना:

- एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों के बारे में जागरूकता सृजित करके उन्हें जेड प्रमाणन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करके और साथ

ही उन्हें एमएसएमई चैंपियंस बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यापक अभियान है। जेड प्रमाणन के माध्यम से, एमएसएमई वेस्टेज को काफी हद तक कम करना, उत्पादकता में वृद्धि, पर्यावरण जागरूकता, एनर्जी एफिसिएंट करना, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग और बाजार का विस्तार आदि कर सकते हैं। एमएसएमई को उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्क कल्चर में श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने, उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणाली आदि के मानकीकरण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जेड प्रमाणन का उद्देश्य केवल प्रमाणन ही नहीं बल्कि मूल्यांकन, मार्गदर्शन के माध्यम से संशोधन, पथ प्रदर्शन, प्रबंधन और तकनीकी इंटरवेंशन के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

आवेदन कैसे करें:

- पात्र एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल **www.zed.msme.gov.in** पर आवेदन कर सकते हैं।

2) एमएसएमई – नवाचार (इंक्यूबेशन,आईपीआर और डिजाइन)

उद्देश्य:

- इन्क्यूबेशन और डिजाइन इंटरवेंशनों के माध्यम से आइडिया को नवाचार अनुप्रयोगों में विकसित करने से लेकर पूर्ण वेल्यू-चेन में सभी प्रकार के नवाचार का संवर्धन करना।
- एमएसएमई क्षेत्र के बाजार, डिजाइन प्रतिस्पर्धात्मकता और बौद्धिक रचनाओं के संरक्षण और व्यवसायीकरण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं और सहायता प्रदान करना।
- नए उत्पाद विकास और पथप्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक/अकादमिक लीडरों और नवाचार-कर्ताओं के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- किफायती नवाचार-कर्ताओं को विकसित करने पर ध्यान देना जो अधिक से अधिक में लोगों को लाभान्वित कर सके और साथ ही व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य और स्थायी हो।

प्रमुख लाभ:

- **इंक्यूबेशन**
  - विचारों को विकसित और पोषित करने के लिए हॉस्ट-इंस्टीट्यूशन को वित्तीय सहायता – हॉस्ट-इंस्टीट्यूशन हेतु प्रति आइडिया अधिकतम 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगें।
  - हॉस्ट-इंस्टीट्यूशन को संयंत्र और मशीनरी के लिए 1.00 करोड़ रुपए तक (अधिकतम) वित्तीय सहायता – शाखा संस्थान के इंक्यूबेटी के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों और सामान्य सुविधाओं के लिए शाखा संस्थान में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि सहित संबंधित संयंत्र और मशीनों की खरीद और संस्थापना के लिए प्रदान की जाएगी।

- **डिजाइन**
  - डिजाइन परियोजना: किसी भी एमएसएमई के लिए अनुमोदित डिजाइन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकतम 40 लाख रुपए तक कुल परियोजना लागत का 75% (सूक्ष्म) और 60% (लघु और मध्यम) का अंशदान दिया जाएगा और शेष परियोजना लागत एमएसएमई द्वारा वहन की जाएगी और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में जमा किया जाएगा।
  - छात्र परियोजना: अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक कुल परियोजना लागत का 75% अंशदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

- **आईपीआर**
  - माइलस्टोन-आधारित किस्तों (तीन अथवा अधिक) में आईपीएफसी को 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  - **पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतकों (जी.आई.), डिजाइन के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति:** आईपीआर घटक के अंतर्गत पात्र आवेदकों को अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मद	अधिकतम वित्तीय सहायता
i.	विदेशी पेटेंट	5.00 लाख रु.
ii.	घरेलू पेटेंट	1.00 लाख रु.
iii.	जीआई पंजीकरण	2.00 लाख रु.
iv.	डिजाइन पंजीकरण	0.15 लाख रु.
v.	ट्रेडमार्क	0.10 लाख रु.

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- **इक्यूबेशन:** एमएसएमई, व्यक्ति, छात्र जो अपने नवाचार वाले आइडिया को विकसित करना चाहते हैं, पंजीकृत हॉस्ट-इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- **डिजाइन:** लाभार्थी इकाइयों को एमएसएमईडी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार आमतौर पर एक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम होना चाहिए और उनके पास वैध 'उद्यम' होना चाहिए।
- **आईपीआर:** 'उद्यम' पंजीकरण के साथ विनिर्माण एमएसएमई के लिए।

विस्तृत जानकारी :

- एमएसएमई नवाचार चैंपियंस सिंगल उद्देश्य के साथ 3 उप-स्कीमों और इंटरवेंशनों को एकीकरण, सहक्रिया और जोड़ने का एक समग्र दृष्टिकोण है। एमएसएमई नवप्रवर्तनशील इंक्यूबेशन में नवप्रवर्तन, डिजाइन इंटरवेंशन और भारतीय नवाचारों के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने और उनको एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिंगल मोड दृष्टिकोण में आईपीआर संरक्षण के संयोजन के साथ एमएसएमई के लिए एक नई अवधारणा है। यह विचारों को व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्तावों के विकास में सुविधाजनक और

मार्गदर्शक नवाचार गतिविधियों के लिए हब का कार्य करेगा जो समाज को सीधे लाभ दे सकता है और जिससे सफलतापूर्वक व्यापार किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें:

- पात्र आवेदक एमआईएस पोर्टल **(https://innovative.msme.gov.in)** पर आवेदन कर सकते हैं।

3) एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना

उद्देश्य:

- योजना का उद्देश्य विभिन्न लीन तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

  - **इसमें कमी:**
    - अस्वीकृति दर
    - उत्पाद और कच्चे माल की गतिविधियाँ
    - उत्पाद लागत
  - **इसका अनुकूलन:**
    - अंतरिक्ष उपयोग
    - जल, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन आदि जैसे संसाधन
  - **इसका संवर्धन:**
    - उत्पादों और प्रक्रिया की गुणवत्ता
    - उत्पादन एवं निर्यात क्षमताएँ
    - कार्यस्थल सुरक्षा
    - ज्ञान एवं कौशल
    - नवोन्मेषी कार्य संस्कृति
    - सामाजिक एवं पर्यावरणीय जवाबदेही
    - लाभप्रदता
    - उद्योग 4.0 का परिचय एवं जागरूकता
    - डिजिटल सशक्तिकरण

प्रमुख लाभ:

- **कार्यान्वयन लागत (अधिकतम प्रति इकाई)**
  - बुनियादी स्तर: निःशुल्क
  - मध्यवर्ती स्तर: ₹ 1,20,000 + कर
  - उन्नत स्तर: ₹ 2,40,000 + कर

- **लाभार्थी योगदान:**
  - बेसिक - NA
  - मध्यवर्ती स्तर: कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% यानी, रु. तक। 12,000/- + प्रति यूनिट कर (अधिकतम)
  - उन्नत स्तर: कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% यानी, रु. तक। 24,000/- + प्रति यूनिट कर (अधिकतम)

- **भारत सरकार का योगदान:**
  - बुनियादी स्तर - एनए
  - मध्यवर्ती स्तर: एमएसएमई इकाई रुपये तक की हकदार होगी। कार्यान्वयन लागत के लिए 1,08,000/- (अधिकतम) (कर अतिरिक्त)
  - उन्नत स्तर: एमएसएमई इकाई रुपये तक की हकदार होगी। कार्यान्वयन लागत के लिए 2,16,000/- (अधिकतम) (कर अतिरिक्त)

- **अतिरिक्त लाभ:**
  - बुनियादी स्तर - एनए
  - मध्यवर्ती स्तर और उन्नत स्तर:

    ए) एमएसएमई के लिए अतिरिक्त 5% भारत सरकार का योगदान जो स्फूर्ति क्लस्टर, महिला/एससी/एसटी स्वामित्व वाले, एनईआर स्थित एमएसएमई का हिस्सा हैं।

    बी) ओईएम/उद्योग संघ मार्ग

      - सभी स्तरों के पूरा होने के बाद उद्योग संघ/ओईएम के माध्यम से पंजीकरण करने वाले एमएसएमई को अतिरिक्त 5% भारत सरकार का योगदान दिया जाएगा।
      - लीन इंटरवेंशन के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ओईएम/एसोसिएशन को प्रति एमएसएमई ₹ 5000/ दिए जाएंगे।
      - इस लाभ का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई इकाई को आवेदन करते समय यह उल्लेख करना होगा - मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के तहत आवेदन करना या उद्योग संघ (आईए) के तहत आवेदन करना।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल (एमओएमएसएमई के) के साथ पंजीकृत सभी एमएसएमई एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना में भाग लेने और संबंधित लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

- यह योजना SFURTI (पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना) और सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) योजनाओं के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों (CFC) के लिए भी खुली है।

विस्तृत जानकारी:

- भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का उद्देश्य प्रक्रियाओं, इन्वेंट्री प्रबंधन, अंतरिक्ष प्रबंधन में बर्बादी को कम करके उनकी उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एमएसएमई के लिए एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना को लागू करना है।

आवेदन कैसे करें :

- पात्र आवेदक ऑनलाइन पोर्टल **(https://lean.msme.gov.in)** पर आवेदन कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि
आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई का सशक्तिकरण

स्कीम के बारे में:

- भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की इसकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में, आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) निधि का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा की गई पहलों में से एक है।
- निधि संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि यह एक निश्चित विकास योजना वाली व्यवहार्य एमएसएमई को विकास पूंजी प्रदान करने में निजी क्षेत्र की क्षमताओं से का लाभ उठाएगा।

निधि उद्देश्यः

निधि का उद्देश्य निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के माध्यम से विकास पूंजी के रूप में एमएसएमई को आगे के प्रावधान हेतु डॉटर फंड में पूंजीगत सहायता प्रदान करना हैः

- एमएसएमई व्यवसायों के तीव्र विकास को सहायता प्रदान करना, जिससे अर्थव्यवस्था जोर पकड़ेगी एवं रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे।
- उन उद्यमों को सहायता प्रदान करना जिनमें एमएसएमई दायरे से परे निकलने की संभावना है और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियंस बन सकते हैं।
- एमएसएमई की सहायता करना जिससे प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्म-निर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

एसआरआई निधि संरचनाः

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के माध्यम से स्थापित किया है आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) नामक, एक एआईएफ जिसमें इक्विटी/अर्ध इक्विटी/इक्विटी जैसे संरचित लेखपत्रों के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मदर फंड-डॉटर फंड की संरचना है।

- यह एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ने और एमएसएमई की चारदीवारी से परे विकास करने में प्रोत्साहित करेगा।
- एआईएफ को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) के अंतर्गत भारत सरकार का एक मिनी-रत्न निगम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

एसआरआई निधि की विशेषताएं:

विवरण	ब्यौरा
लक्ष्य समूह	एक सकारात्मक विकास प्रक्षेप-पथ के साथ व्यवहार्य एमएसएमई।
कुल कोष	एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार का अंशदान 10,000 करोड़ रु. है।
निधि की अवधि	निधि की अवधि 15 वर्ष है।
कार्य क्षेत्र	दूर-दूर तक जीवन को प्रभावित करते हुए देश भर की एमएसएमई को संवितरण।
निधि का प्रकार	डॉटर फंड को सेबी में पंजीकृत एआईएफ की श्रेणी-I अथवा-II में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।
अपवाद	गैर लाभकारी संस्थाएं, एनबीएफसी, वित्तीय समावेशन क्षेत्र, एसएचजी और अन्य वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं।

एसआरआई निधि एक जीवंत एमएसएमई परितंत्र सृजित करके भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के लक्ष्य को प्राप्त करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान देगी।

पूर्ण विवरण के लिए www.nvfcl.co.in पर जाएं।

एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प)

स्कीम के बारे में:

- रैम्प मौजूदा एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों की पहुंच बढ़ाकर बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। कार्यक्रम का उद्देश्य केन्द्र और राज्य स्तर पर संस्थानों को सुदृढ़ बनाना,और केंद्र-राज्य सहयोग बढ़ाना भी है।

उद्देश्य:

- एमएसएमई संवर्धन और विकास में केंद्र-राज्य के सहयोग में तेजी लाना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्त पोषण बाजार को सुदृढ़ बनाना
- सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की प्रभावशीलता बढ़ाना और एमएसई की ग्रीनिंग पहलों और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए गारंटी को बढ़ावा देना।
- एमएसई की भुगतान में विलंब की घटनाओं को कम करना।

मुख्य लाभ:

- रैम्प स्कीम राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार को बढ़ावा देकर, डिजिटलीकरण, बाजार पहुंच, ऋण, ग्रीनिंग पहल, आदि द्वारा एमएसएमई के कार्य-निष्पादन को बढ़ाएगी।

लक्षित लाभार्थी:

- रैम्प स्कीम कार्यक्रम अवधि (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27) के दौरान 5.5 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभान्वित करने की परिकल्पना करती है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है:

- राज्य सरकार/एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तिगत एमएसएमई।

विस्तृत जानकारी:

- सभी दिशा-निर्देशों के साथ जल्द ही एक अलग रैम्प पोर्टल विकसित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण संपर्क नम्बर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त का कायलिय एमएसएमई, 7 वीं, मंज़िल ए-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), "ग्रामोदय" 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, "कयर हाउस", एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि-682016, केरल	www.coirboard.gov.in	info@coirboard.org coirboard@nic.in	0484-2351900 2351807, 2351788, 2351954, टोल फ्री 1-800-4259091	0484-2370034 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली 110020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in,	011-26926275 26910910 26926370 टोल फ्री 1-800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) युसूफगौडा, हैदराबाद- 500 045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा-442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

एमएसएमई - विकास सुविधा केन्द्रों और शाखा एमएसएमई - विकास सुविधा केन्द्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई-मेल आईडी
1	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	पोर्ट ब्लेयर	डॉलीगंज इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पो.ऑ. जंगली घाट, पोर्ट ब्लेयर-744103	03192-252308		brdcdi-pprt@dcmsme.gov.in
2	आंध्र प्रदेश	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	विशाखापटनम	एफ-19-22, ब्लॉक डी आईडीए, ऑटोनगर, विशाखापटनम -530012	0891-2517942 /2701061	0891-2517942	dcdi-vish@dcmsme.gov.in
3	तेलंगाना	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	हैदराबाद	नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद-500 037	040-23078857	040-23078857	dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
4	अरुणाचल प्रदेश	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	ईटानगर	एपीआईडीएफसी बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, ईटानगर -791111	0360-2291176	0360-2291176	brmsme.itan@gmail.com
5	असम	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	गुवाहाटी	इंडस्ट्रियल एस्टेट, एम.आर.डी. रोड, पो.ऑ. बामुनी-मैदाम , गुवाहाटी-781021	0361-2970591	0361-2550298	dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सिलचर	लिंक रोड प्वाइंट, एन.एस. एवेन्यू, सिलचर-788006	03842-241649	03842-241649	brdcdi-silc@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	दिफू (कर्बी एन्गलोंग)	सिविल हस्पताल के पीछे, नेहरू युवा केंद्र के पास, दिफू-782460	03761-272549	03671-272549	Brdcdi-diph@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान	तेजपुर	दरांग कालेज रोड, तेजपुर-784001	03712-221084	03712-221084	brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
6	बिहार	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मुजफ्फरपुर	संस्थान, गौशाला रोड, पो.ऑ. रमना, मुजफ्फरपुर-842002.	0621-2282486/2284425	0621-2282486	dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	पटना	पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटना -800013	0612-2262208 0612-2263211	0612-2262719	dcdi-patna@dcmsme.gov.in
7	छत्तीसगढ़	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	रायपुर	उरकुरा रेलवे स्टेशन के निकट, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-बीरगाँव, रायपुर (छत्तीसगढ़)-493221	0771-2427719	0771-2422312	dcdi-raipur@dcmsme.gov.in

8	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सिलवासा	मासत औद्योगिक एस्टेट, सिलवासा -396230	0260-2640933	0260-2640933	brdcdi-silv@dcmsme.gov.in
9	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	नई दिल्ली	बाल सहयोग केंद्र, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001		011-23411950	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	नई दिल्ली	शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, नई दिल्ली-110 020.	011-26847223 26838369	011-26838016	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
10	गोवा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मडगांव	कोंकण रेलवे स्टेशन के सामने (क्यूपेम रोड), मडगांव-403 601.	0832-2705093 2705094	0832-2710525	dcdi-goa@dcmsme.gov.in
11	गुजरात	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	अहमदाबाद	"एमएसएमई टावर", सीआईएमएस हॉस्पिटल के पास, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद (गुजरात)-380060	079-27543147, 27544248	079-27540619	dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	राजकोट	तृतीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के निकट, एमजी रोड, राजकोट-360001	0281-2471045	0281-2471045	brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
12	हरियाणा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	करनाल	11-ए, औद्योगिक विकास कालोनी, आईटीआई के पास कुंजपुरा रोड, करनाल-132 001.	0184-2208100/ 2208113	0184-2208114	dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	भिवानी	आईटीआई कैम्पस, हांसी रोड, भिवानी -127021.	01664-243200	01664-243200	brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सोलन	इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, चम्बाघाट, सोलन-173213.	01792-230265	01792-230766	dcdi-solan@dcmsme.gov.in
14	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	जम्मू तवी	इंडस्ट्रियल एस्टेट डिगियाने, जम्मू तवी	0191-2431077	0191-2431077	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	जम्मू	36, बी/सी, गांधी नगर, जम्मू -180004.	0191-2431077	0191-2450035	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in

15	झारखंड	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	धनबाद	कतरास रोड, मटकुरिया, धनबाद -826001.	0326-23063380	0326-23063380	brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	रांची	इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोकर, रांची -834001	0651-2546133	0651-2546235	dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
16	कर्नाटक	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	हुबली	इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोकुल रोड, हुबली -580 030	0836-2330389, 0836-2332334	0836-2330389	dcdi-hubli@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	बेंगलुरु	राजाजी नगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलुरु -560 010.	080-23151540, 080-23151581, 080-23151582	080-23144506	dcdi-bang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मंगलौर	एल-11 इंडस्ट्रियल एस्टेट, येय्याडी, मंगलौर -575005	0824-2217936		brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	गुलबर्गा	पहला तल, संख्या.1-1165/एल7/ए/1, वार्ड संख्या 48, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने, पीडीए इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, ऐवान-ए-शाही, कलबुरगी (गुलबर्गा), कर्नाटक -585102.	08472-420944		Brdcdi-gulb@dcmsme.gov.in
17	केरल	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	त्रिशूर	कंजनी रोड, अय्यानतोल,पी.ओ. त्रिशूर - 680003	0487-2360686/638/	0487-2360536/216	dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-टीआई	तिरुवला	मंजड़ी पी.ओ., तिरुवला, पठानमथिट्टा -689105	0469-2701336	0469-2701336	msmeti@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई टीआई/टीएस	एट्टुमानूर	पो.बा.सं. 7, एट्टुमानूर , कोट्टयम-686631, केरल	0481-2535563	0481-2535523	msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
18	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एमएसएमई-न्यूक्लियस सेल	लक्षद्वीप	अमीनी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र -682552	0487-2360216		dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
19	मध्य प्रदेश	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	ग्वालियर	7, इंडस्ट्रियल एस्टेट, तानसेन रोड, ग्वालियर -474004	0751-2422590		dcdgwl.msme@.gov.in

		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	रीवा	उद्योग विहार, चौरहट्टा, रीवा - 486001.	0766-2222448		dcdi-reva.msme@.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	इंदौर	10, इंडस्ट्रियल एस्टेट, पोलो ग्राउंड, इंदौर -452015	0731-2421659/ 0731 2421037	0731-2420723	dcdi-indore@dcmsme.gov.in
20	महाराष्ट्र	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	औरंगाबाद	पी-83, एमआईडीसी चिकलथना, नरेगाँव रोड, औरंगाबाद-431006.	0240-2485430	0240-2484204	brdcdi-aura@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मुंबई	कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई - 400072	91-22-28576090	91-22-28578092	dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	नागपुर	ब्लॉक-सी, सीजीओ कॉम्पलेक्स, सेमिनारी हिल, नागपुर-431006	0712-2510352	0712-2511985	dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
21	मणिपुर	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	इम्फाल	सी-17/18, तकयेलपट, इंडस्ट्रियल एस्टेट इम्फाल-795 001	7005711045		dcdi-imphal@dcmsme.gov.in
22	मेघालय	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	तुरा	डकोपगरे टीवी टॉवर के निकट, तुरा – 794101	03651-222569	03651-222569	brdcdi-tura@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	शिलांग	बी.के. बजोरिया स्कूल के सामने. शिलॉग - शिलांग- 7930..	0364-2223349	0364-2223349	brdcdi-shil@dcmsme.gov.in
23	मिजोरम	शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	आइज़ोल	शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान, कालेज वेंग, हाउस नं. बी-37, टैक्सी स्टैंड के निकट, आइजवाल -796001	0389-2323448		brdcdi-aizw@dcmsme.gov.in
24	नागालैंड	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	आइज़ोल	एमएसएमई विकास संस्थान, 6वां मील , मोकिमा, छंठा मील 797115, नागालैंड	03862-248552	03862-248552	brdcdi-dima@dcmsme.gov.in
25	ओडिशा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	कटक	विकास सदन, कालेज स्क्वायर, कटक -753 003	0671-2548077	0671-2548006	dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-	रायगड़	आर. के. नगर, रायगड़ -	06852-222268	06856-	brdcdi-

		विकास सुविधा केंद्र		765001		235968	raya@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	राउरकेला	सी-9, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राउरकेला-769004	0661-2507492	0661-2402492	brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
26	पंजाब	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	लुधियाना	प्रताप चौक के निकट, संगीत सिनेमा के सामने, औद्योगिक क्षेत्र-बी, लुधियाना – 141003	0161-2531733, 734	0161-2533225	dcdi-ludhiana@dcmsme.gov.in
27	राजस्थान	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	जयपुर	गोदाम संख्या 2 के सामने, बैस गोदाम इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर, राजस्थान - 302006.	0141-2210553, 2212098	0141-2210553	dcdi-jaipur@dcmsme.gov.in
28	सिक्किम	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	गंगटोक	ऊपरी तदोंग, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, एनएच - 31ए, गंगटोक, सिक्किम -737101	03592-204666	03592-231262	dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in
29	तमिलनाडु	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	चेन्नई	65/1, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी, पो.बा. 3746, चेन्नई-600 032	044-22501011/12/13	044-22341014	dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास संस्थान	कोयम्बटूर	386, पटेल रोड, राम नगर, कोयम्बटूर	0422-2230426	0422-2233956	brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	मदुरै	प्लॉट सं. पीपी11, टैनसिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट,मेलुर मुख्य सड़क, के पुदूर, मदुरै, तमिलनाडून 625007.	0461-2375345		dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	तिरुनेलवेली	शेड नं. 7 और 8 इंडस्ट्रियल एस्टेट, पेट्टई तिरुनेलवेली 627010	0462-2342137		Brmsmedi-tin@gmail.com
30	त्रिपुरा	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	अगरतला	एमएसएमई-विकास संस्थान, इंद्रानगर (आईटीआई प्ले ग्राउंड के निकट), पो.ऑ. कुंजाबन, अगरतला - 7999006	0381-2326570		dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
31	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	आगरा	34, इंडस्ट्रियल एस्टेट, नुनहाई, आगरा-282 006	0562-2280879/2280882	0562-2523247	dcdi-agra@dcmsme.gov.in

		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	इलाहाबाद	ई-17/18, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद-211008	0532-2697468	0532-2696809	dcdi-allbad@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	कानपुर	107, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कल्पी रोड, कानपुर-208 012.	0512-2240143	0512-2240143	dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	वाराणसी	चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वाराणसी-221106.	0542-2370621	0542-2371320	brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
32	उत्तराखंड	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	हल्द्वानी	खाम बंगला कैम्पस, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी -263 139.	05946-221053, 220853	05946-228353	dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in
33	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	कोलकाता	111 और 112, बी.टी. रोड, कोलकाता-700 108	033-25775531	033-25100524	dcdi-kolkata@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सूरी (बीरभूम)	आर.एन. टैगोर रोड, पुलिस लाइन के निकट, पीओ-सूरी, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल-731101	03462-255402	03462-255402	brdcdi-birb@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	दुर्गापुर	आरए-39 (भूतल), उर्वशी (फेज 2), बंगाल अम्बुजा, ताराशंकर सरणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर - 713 216.	0343-2547129		brdcdi-durg@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई-विकास सुविधा केंद्र	सिलिगुड़ी	इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेवोके रोड, सेकंड माइल, सिलिगुड़ी - 734 001.	0353-2542487		brdcdi-sili@dcmsme.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

"भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं"

- महात्मा गांधी